"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 नवम्बर 2015— अग्रहायण 9, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–14/आठ–परि./2015.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 76–क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"**76–ख. स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तें.**– धारा 74 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक स्कूल बस अनुज्ञा पत्र में निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:–

(1) प्रत्येक स्कूल बस को छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 114 के उप–नियम (5) के अनुसार पीला रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के सामने एवं पीछे "स्कूल बस" अंकित किया जायेगा। स्कूल बस के बाह्य भाग में दोनों ओर 09 इंच की एक पट्टी होगी, जिस पर स्कूल का नाम, पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा।

(2) बसों के खिड़कियों में क्षितिज के समानांतर (Horizontal) जाली की व्यवस्था की जायेगी।

(3) प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होगी।

(4) प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित परिचारक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा।

(5) स्कूल बसों का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जायेगा, जो स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

ऐसे चालकों को नियोजित नहीं किये जायेंगे, जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लंघन करने, सिग्नल लाईट का उल्लंघन करने या अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा, जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथपत्र लिया जायेगा।

(6) स्कूल बस में विद्यार्थियों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा उपायों को चेक करने हेतु किसी विद्यार्थी के अभिभावक अथवा शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को ही ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे बस में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) प्रत्येक स्कूल बस में, सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा।

(8) स्कूल बसों का संचालन विहित गति सीमा के भीतर किया जायेगा तथा प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा।

(9) प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जायेगा।

(10) स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा।

(11) स्कूल बस की खिड़कियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगे। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधानित है, लगाये जायेंगे।

(12) स्कूल बसों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, स्कूल बस के अंदर नीले रंग का बल्ब लगाया जायेगा।

(13) स्कूल बसों का नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा और स्वच्छ रखा जायेगा।

(14) संविदा वाहन के लिए, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 56 के अंतर्गत वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(15) प्रत्येक स्कूल बस में वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र रखना होगा।

(16) कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

76—ग. **शैक्षणिक संस्था द्वारा स्कूल बस के रूप में संचालन हेतु किराये पर ली गई वाहन के लिए अनुज्ञापत्र की शर्तें.**— धारा 74 की उप—धारा (2) के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, शैक्षणिक संस्था द्वारा स्कूल बस के रूप में संचालन के लिए किराये पर ली गई प्रत्येक वाहन अनुज्ञा पत्र में, निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जायेगी, अर्थात्:—

(1) प्रत्येक वाहन के आगे एवं पीछे "आन स्कूल ड्यूटी" विपरीत रंग से लिखा जायेगा। ऐसे वाहनों के मालिक एवं चालक का नाम तथा अन्य विवरण, उस क्षेत्र के पुलिस थाना को दिये जायेंगें, जिसमें स्कूल स्थित है।

(2) प्रत्येक वाहन की खिड़कियों में क्षितिज के समानांतर (Horizontal) जाली की व्यवस्था की जावेगी।

(3) प्रत्येक वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की जायेगी।

(4) प्रत्येक वाहन में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित एक परिचारक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा।

(5) प्रत्येक वाहन का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जावेगा, जो स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो ।

ऐसे चालकों को नियोजित नहीं किये जायेंगें, जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लंघन करने, सिग्नल लाईट का उल्लंघन करने या अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा, जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा।

(6) वाहन में विद्यार्थियों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा उपायों को चेक करने हेतु किसी विद्यार्थी के अभिभावक अथवा शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को ही ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे बस में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) प्रत्येक वाहन में, सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा।

(8) वाहनों का संचालन विहित गति सीमा के भीतर किया जायेगा तथा प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा।

(9) प्रत्येक वाहन के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जायेगा।

(10) वाहन का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा।

(11) वाहन की खिड़कियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगें। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधानित है, लगाये जायेंगें।

(12) वाहनों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, वाहन के अंदर नीले रंग का बल्ब लगाया जायेगा।

(13) वाहनों का नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा और स्वच्छ रखा जायेगा।

(14) संविदा वाहन के लिए, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 56 के अंतर्गत वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(15) प्रत्येक वाहन में वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र रखना होगा।

(16) कोई भी वाहन 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।"

No. F-5-14/VIII-Trans/2015.— In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 76-A, the following shall be added, namely:-

"**76-B. Conditions for school bus permit.–** Subject to the provision of sub-section (2) of Section 74, the following conditions shall be attached to every school bus Permit, namely :-

(1) Each bus shall be painted in yellow colour and "School Bus" shall be written in front and rear of the vehicle under sub-rule (5) of rule 114 of Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994. The name, address and telephone/mobile number of the School shall be written on a 09 inch broad strip on outer side of the school bus on both the sides.

(2) The buses shall have a horizontal grill fitted on the windows.

(3) Each school bus shall have first aid kit and fire extinguisher.

(4) Each school bus shall have an attendant trained in first aid, safety of students and in dealing with emergency situations who shall assist students in boarding and de-boarding.

(5) The school buses shall be operated by such drivers who have held permanent driving license and have minimum five years experience in driving heavy vehicle.

Such drivers will not be employed who have been challaned on more than two occasions in one year for offences like violating lane system, violating signal lights or allowing an authorized person to enter. A driver who has been challaned even once for the offence of over speeding, drunken driving and dangerous driving shall not be employed. An affidavit to this effect shall be obtained by the educational institution from the driver of the vehicle.

(6) Other than students, the school bus is permitted to carry only guardians of students or teacher of educational institution who may travel to check safety norms. No other person shall be allowed to travel in such buses.

(7) Each school bus shall have space to keep school bags under the seat.

(8) The School buses shall operate within the prescribed speed limit. Each bus shall be fitted with speed governor.

(9) Each school bus shall have an emergency door on the right side which shall be closed properly and shall be opened only in emergency.

(10) The doors of the school buses shall be fitted with reliable locking system.

(11) Colored films on glasses and curtains shall not be used on the windows of the school buses. Security glasses as provided in rule 100 of the Motor Vehicle Rules, 1989 shall be used.

(12) No pressure horn shall be fitted in school buses. During operation at night the school buses shall have blue color bulb fitted inside.

(13) The school buses shall be regularly maintained and cleaned.

(14) For contract vehicles, valid fitness certificate under Section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), shall have to be obtained.

(15) Each school bus shall have valid insurance certificate, pollution control certificate and certificate of payment of taxes.

(16) No school bus shall be more than 12 years old.

76-C. Conditions for permit of vehicles taken on hire by educational institutions for use as school bus.- Subject to the provisions of sub-section (2) of Section 74, the following conditions for permit shall be attached to every vehicle taken on hire by educational institution for use as school bus, namely:-

(1) "On School Duty" shall be written in contrasting color in front and rear of each vehicle. The name and other details of vehicles owner and driver of such vehicles shall be given to the police station having jurisdiction over the area where the school is situated.

(2) The vehicles shall have a horizontal grill fitted on the windows.

(3) Each vehicle shall have first aid kit and fire extinguisher.

(4) Each vehicle shall have an attendant trained in first aid, safety of students and in dealing with emergency situations who will assist students in boarding and de-boarding.

(5) The vehicles shall be operated by such drivers who have held permanent driving license and have minimum five years experience in driving heavy vehicle.

Such drivers will not be employed who have been challaned one or more than two occasions in the year for offences like violating lane system, violating signal lights or allowing an authorized person to enter. A driver who has been challaned even once for the offence of over speeding, drunken driving and dangerous driving shall not be employed. An affidavit to this effect shall be obtained by the educational institution from the driver of the vehicle.

(6) Other than students, the vehicle is permitted to carry only guardians of students or teachers of the educational institution who may travel to check safety norms. No other person shall be allowed to travel in such vehicles.

(7) Each vehicles shall have space to keep school bags under the seat.

(8) The Vehicles shall operate within the prescribed speed limit. Each bus shall be fitted with speed governor.

(9) Each vehicle shall have an emergency door on the right side which shall be closed properly and shall be opened only in emergency.

(10) The doors of the vehicles shall be fitted with reliable locking system.

(11) Colored films on glasses and curtains shall not be used on the windows of the vehicles. Security glasses as provided in rule 100 of the Motor Vehicle Rules, 1989 shall be used.

(12) No pressure horn shall be fitted in the vehicle. During operation at night the vehicles shall have blue color bulb fitted inside.

(13) The vehicles shall be regularly maintained and cleaned.

(14) For contract vehicles, valid fitness certificate under Section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), shall have to be obtained.

(15) Each vehicle shall have valid insurance certificate, pollution control certificate and certificate of payment of taxes.

(16) No vehicle shall be more than 12 years old."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.